N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0309 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/12/2024 17:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 23/12/2024 Date To (दिनांक तक): 25/12/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 17:20 बजे Time To (समय तक): 11:30 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/12/2024 Time (समय): 15:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक एवं समय) 26/12/2024 17:36:08 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 12 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): KUSHTLA
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVRAM MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMSWAROOP MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2006 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KARELA, MANTOWN, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KARELA, MANTOWN, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHARATLAL GURJAR		पिता:GHASEELAL GURJAR	1. DHMUN KALAN,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SIYARAM		पिता:HEERA LAL MEEMA	1. POLICE CHAOKEE KUSTLA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि दिनाक 23.12.2024 को ब्यूरो मुख्यालय के हैल्प लाईन नम्बर 1064 की सूचना पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 04.37 पी.एम पर [redacted] पर कॉल करके परिवादी देवराम मीना से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैं एसीबी का कार्यालय नही जानता हूँ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की सुविधानुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सिविल लाईन स्थित सरकारी निवास एस.आर. 7 का पता बताकर उपस्थित होने हेतु कहा गया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मनोज कुमार कानि0 133 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय लेपटॉप स्पीकर के ब्यूरो चौकी से रवाना होकर सरकारी निवास पर पहुंचा। दिनांक 23.12.2024 समय 05.20 पी. एम. पर परिवादी श्री देवराम मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 18 वर्ष, निवासी करेला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर नें सरकारी निवास पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर के नाम सम्बोधित करते हुये कुशतला चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिस कर्मीयों को रिष्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को पेश की। परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री देवराम मीना से उसके द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि मैं देवराम पुत्र श्री रामस्वरूप मीना जाति मीना निवासी करेला का रहने वाला हूँ। मैंने व मेरे जीजाजी महेश निवासी अजीतपुरा ने साझेदारी में एक महिन्द्रा 575 ट्रैक्टर खरीदा था। जिसें मैं मेरे जीजाजी के साथ बजरी में साझेदारी से चलाता हूँ। दिनांक 22.12.2024 को रात को मैं व मेरे जीजाजी बजरी भरकर पीपडवाडा ले जा रहे थे, रास्ते कुश्तला चौकी की पुलिस की 112 गाडी ने रवाजंना चौड के पास बजरी से भरे तीन टै्रक्टर पकड रखे थे। जहां पर मुझे रूका लिया व पकड कर पुलिस थाना रवांजना डूंगर ले आये, वहां ले जाकर ट्रैक्टर को खडा करवा दिया और गाडी में मौजूद कुश्तला चौकी इंचार्ज भरत लाल गुर्जर व अन्य पुलिस कर्मी ने 50,000/- रूपये ट्रैक्टर छोडने के बदले में रिश्वत मांगी। रिश्वत नही देने पर बजरी परिवहन मे बन्द करने की धमकी दी। भरतलाल गुर्जर चौकी इंचार्ज कुश्तला ने मेरे से मौके पर ही 30,000/- रूपये लेकर राकेश पुलिसकर्मी को दे दिये थे और ट्रैक्टर का साधारण चालान बनाकर थाना प्रभारी बच्चू सिंह एएसआई से 600/- रूपये की जुर्माना रसीद कटवाकर बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रोली को थाना परिसर में बोर्ड के पास खाली करवाकर छोड दिया। जिसकी रसीद मुझको नही दी। 20,000/- रूपये रिश्वत की और मांग कर रहा है। गश्ती दल रात भर में लगभग दस-बारह ट्रेलर प्रति चार हजार रूपये में तथा बीस-तीस ट्रैक्टर प्रति एक हजार रूपये 500/- रूपये चौकी एवं 500 /-रूपये थाने के नाम से वसूल कर निकालते है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारीयों को रिश्वत राशि नहीं देकर इन्हें रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुष्मनी व पुरानी लेन-देन नहीं है। परिवादी ने मांगने पर अपना एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति पेष की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की मजीद दरियाफ्त से मामला रिष्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवष्यक है। इसके पश्चात समय 05.50 पी.एम पर रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि0 133 का परिवादी देवराम मीना से परिचय करवाकर कानि0 को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को परिवादी देवराम मीना के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर व वॉईस रिकॉडर में मैमोरी कार्ड सेन डिस्क (माइक्रो एसडी 16 जीबी) लगाकर वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि परिवादी को समझाकर आरोपी से रिष्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को श्री मनोज कुमार कानि0 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के संदिग्ध के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिष्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिष्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। इसके पश्चात समय 06.10 पी.एम पर परिवादी श्री देवराम मीना एवं श्री मनोज कुमार कानि को अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कुशतला पुलिस चौकी के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 07.15 पी.एम पर श्री मनोज कुमार

कानि एवं परिवादी श्री देवराम मीना सरकारी निवास पर हाजिर आये तथा परिवादी ने बताया कि मैं व मनोज कुमार आपके सरकारी निवास से रवाना होकर कुश्तला पुलिस चौकी के पास पहुंचे। जहां पर श्री मनोज जी ने वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित अपना परिचय बोलकर मुझे दिया तथा मेंने अपना परिचय बोलकर वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर चालू हालत में लेकर कुश्तला पुलिस चौकी में अन्दर चला गया तथा श्री मनोज जी कुश्तला पुलिस चौकी के पास खडे हो गये। मुझे कुश्तला पुलिस चौकी में इंचार्ज भरत लाल जी चौकी के बरामदे मे ही मिल गये। मैने उनसे रिक्सेट की कि पेमेन्ट आधा ही हो पाया अभी तो बिलकुल श्रृद्धा नही है, घर जाकर बजरी बेचकर दुंगा। भरतलाल जी ने कहा की नही उधर देजा पेमेन्ट। इसके बाद मैं सियाराम जी पुलिस कर्मी के पास चला गया मैंने कहा कि सियाराम जी आप हो तो उन्होने कहा की हां कल वाला है न तु। मैने कहा की मेरे जीजाजी के नाम है टेक्टर और चलाता मै हु। उन्होने कहा की कर ली क्या बात तो मैने कहा की तीस हजार तो दे दिये थे और बीस हजार बाकी है। मैने सियाराम जी को दस हजार रूपये देते हुये कहा की गिन लो। मेरी भरत लाल इंचार्ज व सियाराम पुलिस कर्मी से अलग अलग बाते हुई जो मेने इस वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस चौकी कुश्तला से बाहर आया तथा मेरे पीछे पीछे श्री मनोज कुमार जी भी आ गये तथा एकान्त स्थान पर मेरे से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख लिया फिर मेंने मनोज जी को सारी बाते बताई। इसके बाद परिवादी के उक्त कथनों की श्री मनोज कुमार कानि0 ने पूछने पर ताईद की एवं बताया कि मैं पुलिस चौकी कुश्तला के पास ही खडा हो गया था। मैंन परिवादी देवराम मीना को पुलिस चौकी कुश्तला में प्रवेश करते हुये देखा था। तत्पश्चात मनोज कानि0 से विभागीय वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड लगे सहित प्राप्त कर रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप मे स्पीकर कनेक्ट कर लेपटॉप में वाईस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद हुई। वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय के पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात समय 07.30 पी.एम पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि पुलिस चौकी कुश्तला के पुलिसकर्मी कल दिनांक 24.12.2024 को रात्रि के समय ही रिश्वत राशि प्राप्त करेगें। पुलिस चौकी कुश्तला इंचार्ज भरतलाल या सियाराम पुलिसकर्मी जब भी मेरे से रिश्वत राशि के लिये सम्पर्क करेगें। मै आपको बता दूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर सरकारी निवास से रूखस्त किया गया तथा श्री मनोज कुमार कानि. को ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर हेतु रवाना किया गया। इसके पश्चात दिनांक 24.12.2024 को समय 02.42 पी.एम पर परिवादी देवराम ने जरिये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पुलिस चौकी इंचार्ज भरतलाल जी ने मेरे से मेरे मिलने वाले के मार्फत शेष बची 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की और मांग कर रहे है। इस पर परिवादी को रिश्वती राशि 10,000/-रूपये लेकर आज दिनांक 24.12.2024 को समय 09.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। इसके पश्चात समय 05.10 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवष्यकता होने से दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर से मोबाईल पर वार्ता कर रात्रि समय करीबन 09.00 पीएम पर दो कार्मिक मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास एस.आर-7 पर बतौर गवाह भिजवाने हेतु कहा गया। इसके पश्चात समय 08.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाहक मालखाना इंचार्ज मनोज कुमार कानि0 133 से मालखाना में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर सरकारी वाहन के डेश बोर्ड में रखवाकर एवं कार्यालय स्टाफ से लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बाक्स मय ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामग्री को सरकारी वाहन में रखवाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मनोज कुमार कानि कार्यवाहक मालखाना इंचार्ज मय श्री हम्मीर सिंह कानि., भोलाराम कानि., रामकेश कानि., राजवीर सिंह कानि. के ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास के लिये रवाना हुआ। इसके पश्चात 08.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा सरकारी निवास पर पहुंचा। जहां पर सरकारी वाहन के डेश बोर्ड में रखे फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे एवं लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बाक्स मय ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामग्री को सरकारी वाहन में से सरकारी निवास में रखवाया गया। इसके पश्चात समय 09.00 पी.एम पर परिवादी श्री देवराम मीना मन अति.पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास एस.आर. 7 पर उपस्थित आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली 10 हजार रूपये रिष्वत राषि साथ लेकर आया हूॅं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिष्वत राषि अपने पास रखने एवं मांगने पर पेष करने की हिदायत की गई। इसके पश्चात समय 09.10 पी.एम पर कार्यालय तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर से पाबन्द शुदा दो कार्मिक मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास एस.आर. 7 पर उपस्थित आये एवं बताया कि वह नायब तहसीलदार श्री विनोद शर्मा के आदेष से आपके निवास पर आये है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो कार्मिकों से उनके नाम पते मय मोबाईल नम्बर सहित पूछे तो उन्होने अपना नाम क्रमशः अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नं. 11,12 राजनगर बजरिया सवाई माधोपुर हाल पटवारी हल्का सुनारी तहसील सवाई माधोपुर ([redacted], व दिनेश कुमार शर्मा पुत्र नारायण शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी हल्का लोरवाडा तहसील सवाई माधोपुर ([redacted]) होना बताया। तत्पश्चात दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री देवराम मीना से

आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा कुश्तला पुलिस चौकी के पुलिस कर्मीयों के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये। इसके पश्चात समय 09.20 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी देवराम मीना के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में रखे वाईस रिकार्डर (एसडी कार्ड डले सहित) जिसमें परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण के मध्य दिनांक 23.12.2024 को रूबरू हुई रिष्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त वॉईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित कार्यालय लेपटोप की मदद से चालू कराकर एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर में रिकार्ड रिष्वत मांग संबंधी वार्ताओं को टेबिल स्पीकर की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया एवं रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री मनोज कुमार कानि. से तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मनोज कुमार कानि. से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से एक नये खाली पैनड्राईव सेंनडिस्क मार्क-ए-1 एवं दो मुलजिम प्रति डीबीडी मार्क-ए-2, ए-3 एवं एक आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-4 डब करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-4 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव सेंडिस्क मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-ए-2, ए-3 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क-ए अंकित कर माचिस की डिब्बी में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-4 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया, तथा सील्ड शुदा एसडी कार्ड मार्क-ए, पैनड्राईव मार्क-ए-1, डीबीडी मार्क-ए-2, ए-3 को श्री मनोज कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात 11.25 पी.एम पर परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मेरे जीजाजी महेश को मैने कुश्तला चौकी के पास ही छोड रखा है। जिनसे मेरी अभी बात हुई है। उन्होने बताया कि आज कोई भी बजरी का ट्रैक्टर नही है और ना ही पुलिस की गाडी बाहर घूम रही है। अगर मैं आरोपीगण को रिश्वत राशि पुलिस चौकी कुश्तला पर देने जाउंगा तो उन्हे शक हो जायेगा। मैं भरतलाल चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिस कर्मी को रिश्वत राशि देने हेतु कल सम्पर्क करने का प्रयास करूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 25.12.2024 को प्रातः 09.00 ए.एम पर सरकारी निवास पर ही उपस्थित आने की हिदायत कर सरकारी निवास से रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 11.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो चौकी के स्टाफ सहित मय शील्डशुदा न्यायालय प्रति पैनड्राईव सेंडिस्क मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-ए-2, ए-3, एसडी कार्ड मार्क-ए सहित सरकारी निवास से ब्यूरो चौकी के लिये रवाना हुआ जो समय 11.40 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा। जहां पर उक्त शील्ड शुदा न्यायालय प्रति पैनड्राईव सेंनडिस्क मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-ए-2, ए-3, सील्ड शुदा मूल एसडी कार्ड मार्क-ए को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी मनोज कुमार कानि. के जमा मालखाना करवाया गया एवं समस्त स्टाफ को कल दिनांक 25.12.2024 को प्रातः समय 08.00 ए.एम पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। इसके पश्चात दिनांक 25.12.2024 को समय 8.40 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हम्मीर सिंह कानि. 02, मनोज कुमार कानि. 133, रामकेश कानि. 98, भोलाराम कानि. 281, राजवीर सिंह कानि. 149 के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास के लिये रवाना हुआ। जो समय 08.50 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास पर पहुंचा। इसके पश्चात समय 09.00 ए.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा परिवादी देवराम मीना व दोनो स्वतंत्र गवाहान मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास एस.आर. 7 पर उपस्थित आये। जिन्हे सरकारी निवास में बिठाया गया तथा परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे जीजाजी कुश्तला में ही है। जब भी आरोपीगण चौकी कुश्तला पर मौजूद होंगे तब मेरे को बता देगें। इसके पश्चात समय 10.10 ए.एम पर परिवादी देवराम मीना ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी-अभी मेरे जीजाजी महेश का फोन आया है और उन्होने बताया कि मैंने अभी पता लगाया है कि पुलिस चौकी कुश्तला में भरतलाल चौकी इंचार्ज आ गये है। इसके पश्चात 10.15 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी व श्री दिनेश कुमार शर्मा पटवारी के सामने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी देवराम मीना को आरोपीगण श्री भरतलाल चौकी इंचाज व सियाराम पुलिसकर्मी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 10,000/-रूपये पेश करने की हिदायत देने पर परिवादी देवराम मीना द्वारा आरोपीगण को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पष्चात श्री रामकेश कानि0 98 से सरकारी निवास के कमरे की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगाया जाकर श्री रामकेश कानि. से एक साफ अखबार साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा

सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 10000/-रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी देवराम मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 /-रूपये के नोटो को आरोपीगण को दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये कोट की सामने की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर उन्हें देवे तथा आरोपीगण उक्त रिष्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिष्वत प्राप्त करने पर अपने बाहर आकर सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या मनोज कुमार कानि. के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईषारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा पटवारी से सरकारी निवास में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास में सरकारी निवास में लगे हुये आरओ से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गवाह से ही प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिस हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री रामकेश कानि0 से वापस सरकारी निवास के एक कमरे की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि. से प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के धोवन को सरकारी निवास के पीछे नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा रामकेश कानि. के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को रिष्वत लेन-देन के समय आरोपीगण से होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया जाकर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। इसके पश्चात 10.50 ए. एम पर चौकी स्टाफ को अपने सरकारी निवास के कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को अलग-अलग साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री देवराम मीना व मनोज कुमार कानि. 133 को अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल से पुलिस चौकी कुश्तला के लिये रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हम्मीर सिंह कानि., भोलाराम कानि. राजवीर सिंह कानि. मय ट्रेप बौक्स, सरकारी लेपटोप, मय पिं्रटर, टेबिल स्पीकर आदि सामान सहित जरिये प्राईवेट वाहन के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार पुलिस चौकी कश्तला के लिये वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ, नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि को मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे सहित बाद हिदायत सरकारी निवास से कार्यालय पर ही उपस्थित रहने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके पश्चात 11.10 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कुश्तला चौकी से थोडी दूर पहले पहुंचे, जहां पर मनोज कुमार कानि. व परिवादी देवराम मीना व एक व्यक्ति और मिला। परिवादी देवराम मीना ने पूछने पर बताया कि यह मेरे जीजाजी महेश मीना है। हमें अभी पता चला है कि भरत लाल जी दिल्ली-मुम्बई टोल नाके पर गये हुए है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी देवराम मीना को वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी व उसके जीजाजी महेश मीना को टोल नाके पर भरत लाल चौकी इंचार्ज के पास रिश्वत राशि लेन-देन हेतु परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया व उसके पीछे-पीछे मनोज कुमार कानि. को अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री हम्मीर सिंह कानि., राजवीर सिंह कानि., भोलाराम कानि. के टोल नाके पर रवाना होकर टोल नाके के सामने टोंक रोड पर तिराहे पर खडे हो गये तथा परिवादी मोटरसाईकिल को लेकर टोल नाके पर खडी गाडी 112 के पास चला गया। मन अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के टोंक हाईवे के पास गाडी खडी कर गाडी में से ही परिवादी के नियत ईषारे का इन्तजार करने लगा। तत्पश्चात 11.30 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री देवराम मीना ने समय 11.28 एएम पर पूर्व निर्धारित ईशारे पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यो को साथ लेकर दिल्ली-मुम्बई हाईवे पर स्थित टोल नाके के पास पहुचां तो परिवादी देवराम मीना ने पुलिस की गाडी 112 में आगे की ड्राईवर की बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति बावर्दी में बैठे हुये की तरफ ईशारा कर बताया कि यही भरतलाल जी कुश्तला चौकी इंचार्ज है। जिन्होने अभी-अभी रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में रख लिये। परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त किया तो बंद हालत में मिला पूछने पर परिवादी ने बताया कि मोटरसाईकिल के किक देने के कारण या अन्य कोई कारण से रिकॉर्डर कैसे बन्द हो गया है, इसका मुझे पता नही है। इस पर उक्त पुलिस गाडी 112 में ड्राईवर वाली सीट की बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुये नाम पूछा तो उसने अपना भरतलाल ए.एस.आई. इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला होना बताया तथा पुलिस गाडी 112 में दो पुलिसकर्मी पीछे वाली सीट पर व एक बिना वर्दी के ड्राईवर सीट पर बैठा था। टोल नाके के पास अन्य वाहनो की आवाजाही एवं भीड एकत्रित हो जाने से टोल नाके के पास कार्यवाही करने का सुरक्षित स्थान नही होने से यथा स्थिति में ही कुश्तला चौकी के लिये रवाना हुआ तथा ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व उसके जीजाजी को कुश्तला चौकी पर पहुंचने की हिदायत की गई। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय भरतलाल ए.एस.आई. व पुलिस गाडी 112 में बैठे हुये पुलिस कर्मीयों के समय 12.10 पी.एम पर पुलिस चौकी कुश्तला पहुंचे। जहां पर पुलिस चौकी के बरामदे के दाहिनी तरफ के एक कमरे का ताला लगा हुआ था। उक्त कमरे का ताला खुलवाकर भरतलाल ए.एस.आई. व अन्य दो बावर्दी पुलिसकर्मी व एक व्यक्ति जो सादा कपडों मे था, को उक्त कमरे में बिठाकर भरतलाल ए.एस.आई से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी धमूण कला, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर होना बताया। जिससे परिवादी से प्राप्त की गई 10,000/-रुपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो भरतलाल एएसआई ने अपनी पहनी हुयी बर्दी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब से रिश्वत राशि निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा पटवारी को दिलवाकर गिनवाकर नोटो के नम्बर बुलवाये गये व स्वतंत्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी से सरकारी निवास पर बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट मिले। इसके पश्चात उक्त रिश्वति राशि गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवायी गयी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी भरतलाल ए.एस.आई. से परिवादी से किस सम्बन्ध में रिश्वत राशि ली है। इसके सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि इसने जबरदस्ती डाल के गया है। इस पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि परसो के दिन इन्होने मेरा ट्रैक्टर पकडा था। पचास हजार रूपये की बात हुई थी। तीस हजार मैं थाने पर इनको देकर गया था। दस हजार रूपये दिनांक 23.12.2024 को इनको यहां कुश्तला चौकी पर देकर गया और दस हजार रूपये अभी दिये है। बजरी की ट्रोली छोडने के बदल में। इसके पश्चात आरोपी भरतलाल ए. एस.आई. ने पूछने पर कहा की मुझे और कुछ नही कहना है। इसके पश्चात पुलिस चौकी कुश्तलाल के उक्त कमरे में से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल उचित दूरी पर रखवाकर डिस्पोजल गिलासो में पानी डाला गया, उसमें श्री मनोज कुमार कानि. से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया । दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी भरतलाल ए.एस.आई. के दांये हाथ की अंगुलियों व दूसरे गिलास में बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो-दो साफ कॉच की शीषीयां में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीषीयों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1 व एलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तत्पष्चात आरोपी श्री भरतलाल एएसआई द्वारा अपनी पहनी हुयी बर्दी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब से मिली रिश्वति राशि जो स्वतंत्र गवाह दिनेश कुमार शर्मा पटवारी के पास रखी हुयी थी। जिसका मिलान स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में ही सरकारी आवास में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो पांच-पांच सौ रूपये के बीस नोट हुबहु मिले। बरामद रिष्वत राषि पांच-पांच सौ के बीस नोटों को एक सफेद रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री भरतलाल एएसआई की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी से लिवाई गई तो आरोपी भरतलाल एएसआई की पहनी बर्दी की पेन्ट की पीछे दाहिनी तरफ की जैब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें स्वंय की पुलिस आई.डी व ड्राईविंग लाईसेन्स व पांच हजार चार सौ अठारह रूपये मिले तथा आरोपी भरतलाल की पहनी हुई बर्दी की बांयी जेब में एक मोबाईल वन प्लस बरंग स्काई ब्लू का मिला। उक्त जामा तलाशी में मिली नगद राशि व अन्य आई.डी. व ड्राईविंग लाईसेन्स को स्वतंत्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री भरतलाल एएसआई की पहनी हुई बर्दी की पेन्ट की सामने दाहिनी जेब का धोवन लेना आवष्यक होने से आरोपी के लिये पुलिस चौकी के कमरे में से जिन्स की पेन्ट मंगवाकर पहनी हुई बर्दी की पेन्ट व शर्ट को ससम्मान खुलवाकर जिन्स की पेन्ट व शर्ट पहनायी तथा साफ पारदर्शी प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री भरतलाल

एएसआई की बर्दी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील चस्पा कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भरतलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला की हाथ धुलाई की कार्यवाही एवं रिष्वत राषि बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि0 149 के मोबाईल से तैयार की गई। उक्त रिकॉर्डिंग की पृथक से डीवीडी तैयार की जावेगी। आरोपित श्री भरतलाल एएसआई से परिवादी के ट्रैक्टर ट्रोली के चालान सम्बंधित दस्तावेज पेष करने की कही तो आरोपी ने एक चैकिंग मीमो की डायरी पेश की जिसमें रा.पु.मु.ज चैकिंग मीमो राजस्थान पुलिस यातायात वर्ष 2024 पुस्तक क्र.सं. 0474749 लाल श्याही से अंकित है, उक्त चैकिंग मीमो रसीद दिनांक 23.12.2024 समय 2.10 ए.एम वाहन बिना नम्बरी ट्रैक्टर महिन्दा्र 575 जिसको भरतलाल एएसआई के हस्ताक्षर हो रखे है तथा उल्लघंनकर्ता के हस्ताक्षर में महेश मीणा के हस्ताक्षर हो रखे है। उक्त चैकिंग मीमो की रसीद की फोटो प्रति करवाकर श्री भरतलाल ए.एस.आई से प्रमाणित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि. को पुलिस थाना रवांजना डूंगर के रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति, कम्पाउड की प्रमाणित प्रति व मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति लेने एवं थाना परिसर में खाली करवायी गयी बजरी की फोटो एवं विडियोंग्राफर हेतु पुलिस थाना रवांजना डूंगर रवाना किया गया। इसके पश्चात दो बावर्दी पुलिस कर्मी व एक सादा कपडे वाले व्यक्ति से अपना परिचय पूछा गया तो एक ने अपना नाम राकेश पुत्र बिशनलाल उम्र 35 वर्ष निवासी खिरनी पुलिस थाना बौली हाल कानि0 1000 कुश्तला चौकी पुलिस थाना रवांजना डूंगर व दूसरे ने अपना नाम सीटूराम पुत्र प्रेमलाल मीना उम्र 35 वर्ष निवासी गंभीरा पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर हाल कानि. 215 पुलिस चौकी कुश्तला, पुलिस थाना रवांजना डूंगर व तीसरे सादा कपडे वाले व्यक्ति ने अपना नाम कालराम पुत्र बद्रीलाल गुर्जर उम्र 27 वर्ष निवासी भावपुर पुलिस थाना बहरावण्डा कलां हाल प्राईवेट चालक पुलिस गाडी 112 पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर का होना बताया। इसके इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन-देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया तथा सियाराम कानिस्टेबल को चौकी परिसर में तलाश करवाया चौकी परिसर में नही मिला। जो कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो जाना पाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। इसके पश्चात समय 03.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस चौकी कुश्तला के दिनांक 21.12.2024 से दिनांक 24.12.2024 रोजनामचा आम की फोटो प्रति करवायी जाकर श्री भरतलाल एएसआई चौकी इंचार्ज से प्रमाणित करवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर अवलोकन किया गया तो रपट संख्या 294 समय 3.00 ए.एम दिनांक 22.12.2024 को चौकी इंचार्ज भरतलाल एएसआई द्वारा दो ट्रैक्टर ट्रोली को धारा 207 एमवी एक्ट में जप्त कर चौकी हाजा में जगह नही होने से पुलिस थाना रवाजना डूंगर में सुरक्षार्थ खडे करने का उल्लेख है। उक्त रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 03.15 पी.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. 133 मय कम्पाउण्ड रसीद संख्या 0789179 की प्रमाणित फोटो प्रति, मालखाना रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति एवं पुलिस थाना रवांजना डूंगर के दिनांक 22.12.2024 से दिनांक 25.12.2024 तक के रोजनामचाआम की प्रमाणित फोटो प्रति एवं पुलिस थाना रवांजना डूंगर परीसर में खाली करवायी गयी बजरी के फोटो ग्राफ लाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, जिनका अवलोकन कर तो शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 03.20 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी देवराम मीना व आरोपी भरतलाल एएसआई के समक्ष व आरोपी श्री भरतलाल एएसआई के चौकी परिसर में स्वंय के रहने वाले कमरे व दूसरे कमरे की जरिये स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। खाना तलाशी कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि0 149 के मोबाईल से तैयार की गई। तत्पश्चात समय 03.50 पी.एम पर अभियुक्त श्री भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी धमूण कला, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई एवं नियमानुसार गिरफ्तारी की सूचना दी गई। तत्पश्चात समय 04.15 पी.एम पर परिवादी से उसकी मोटरसाईकिल उसके जीजाजी महेश मीना को दिलवाई जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री देवराम मीना एवं गिरफतार शुदा आरोपी श्री भरतलाल ए.एस.आई. को मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सील/जप्त शुदा व जामा तलाशी में मिली राशि पांच हजार चार सौ अठारह रूपये मय खाना तलाशी में मिली संदिग्ध राशि 32,000/- रूपये मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटॉप मय प्रिंटर, वाईस रिकार्ड आदि के जरिये प्राईवेट

वाहनो से पुलिस चौकी कुश्तला से लेकर रवाना होकर समय 4.40 पी.एम एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर आया तथा वजह सबूत को श्री मनोज कुमार कानि0 133 कार्यवाहक मालखाना इन्चार्ज के सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में रखा गया। इसके पश्चात समय 5.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी देवराम मीना मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय मनोज कुमार कानि0 मय प्राईवेट वाहन के कार्यवाही हाजा में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद हेतु घटना स्थल हेतु दिल्ली-मुम्बई हाईव के पास स्थित टोल नाके के पास रवाना हुआ तथा समय 5.45 पी.एम पर परिवादी देवराम मीना की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया जाकर घटनास्थल से मय हमराहीयान के रवाना होकर समय 06.15 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा। इसके पश्चात समय 6.30 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये राजवीर सिंह कानि0 149 से स्वंय के मोबाईल में करवाई गई बीडीयोग्राफी की दो डीबीडीयां डब करवाई जाकर मार्क सी-1 व सी-2 अंकित करवाकर डीबीडी मार्क-सी-1 को कपडे की थैली में सील्ड मौहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीबीडी मार्क-सी-2 को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 06.45 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने खाना तलाशी जरिये राजवीर सिंह कानि0 149 से स्वंय के मोबाईल में करवाई गई बीडीयोग्राफी की दो डीबीडीयां डब करवाई जाकर मार्क डी-1 व डी-2 अंकित करवाकर डीबीडी मार्क-डी-1 को कपडे की थैली में सील्ड मौहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीबीडी मार्क-डी-2 को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द वक्त ट्रेप कार्यवाही की विडियो ग्राफी एवं खाना तलाशी की विडियो ग्राफी की जप्त/शील्डशुदा कुल 02 डीवीडीयां को कार्यावाह मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 को सिपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। इसके पश्चात समय 08.00 पी.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी धमूण कला, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर को सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात कराने हेतु पृथक से ड्यूटी ऑफीसर सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मानटाउन के नाम तहरीर जारी कर श्री रामकेश कानि. 98 मय जाप्ता श्री राजवीर सिंह कानि0 149 व हम्मीर सिंह कानि0 02 चालक को जरिये प्राईवेट वाहन सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर व मानटाउन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 9.20 पी.एम पर रामकेश कानि0 98 मय जाप्ता के उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा गिरफतार शुदा आरोपी श्री भरतलाल एएसआई से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर तथा आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात कराकर रसीद एवं रोजनामचा आम रपट की प्रति एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के लेकर जरिये प्राईवेट वाहन के वापस कार्यालय आये। इसके पश्चात समय 09.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी धमूण कला, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर एवं सियाराम कानिस्टेबल पुलिस चौकी कुस्तला थाना रवांजना डूंगर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री देवराम मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 18 वर्ष, निवासी करेला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर से बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रोली को खाली दिखाकर एमवी एक्ट में चालान कर छोडने के बदले में 50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। भरतलाल एएसआई द्वारा परिवादी से मौके पर ही 30,000/- रूपये लेकर बजरी से भरी ट्रोली को थाने में ही बोर्ड के पास खाली करवाकर एमवी एक्ट का चैकिंग मीमो क्रमांक 0474749 भरकर थाना प्रभारी श्री बच्चू सिंह सहायक उप निरीक्षक से मिली भगत करके उक्त ट्रैक्टर ट्रोली को 600/- रूपये राशि का प्रशमन जरिये मीमो क्रमांक 0789179 करवाकर छोड दिया गया तथा भरतलाल एएसआई द्वारा 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की और मांग की। जिस पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 23.12.2024 को भरतलाल एएसआई द्वारा सियाराम कानिस्टेबल को 10,000/- रूपये दिलवाये। रिश्वत मांग सत्यापन के पश्चात बचे हुये 10,000/- रूपये की और मांग की। आरोपी भरतलाल की उक्त मांग के अनुषरण में दिनांक 25.12.2024 को परिवादी से आरोपी भरतलाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर ने दिल्ली-मुम्बई हाईवे पर स्थित टोल नाके के पास परिवादी से 10,000/- रूपये बतौर रिष्वत मांग कर प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफतार किया गया तथा कार्यवाही की भनक लग जाने से सियाराम कानि0 फरार हो गया। भरतलाल एएसआई द्वारा परिवादी से मौके पर ही 30,000/- रूपये लेकर बजरी से भरी ट्रोली को थाने में ही बोर्ड के पास खाली करवाकर एमवी एक्ट का चैकिंग मीमो क्रमांक 0474749 भरकर थाना प्रभारी श्री बच्चू सिंह सहायक उप निरीक्षक से मिली भगत करके उक्त ट्रैक्टर ट्रोली को 600/- रूपये राशि का प्रशमन जरिये मीमो क्रमांक 0789179 करवाकर छोड दिया गया। इस

प्रकार इसमें थाना प्रभारी बच्चू सिंह एएसआई की संलिप्तता भी प्रथम दृष्टतया प्रतीत होती है। जिसकी दौराने अनुसंधान विस्तृत जांच की जानी आवश्यक है। अतः भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी धमूण कला, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर एवं सियाराम कानिस्टेबल पुलिस चौकी कुस्तला थाना रवांजना डूंगर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकन मुख्यालय प्रेषित है। (सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस में आरोपीगण 1-श्री भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी धमूण कला, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर एवं 2-श्री सियाराम, कानिस्टेबल नम्बर 1103, पुलिस चौकी कुस्तला, पुलिस थाना रवांजना डूंगर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, करौली को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 327 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1710-13 दिनांक 26-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2- पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/12/2024 17:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): KALU RAM RAWAT
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1975				
2	Male	11/04/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)